एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 01, अंक: 03 (जुलाई-अगस्त, 2021)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

राजस्थान में निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की जानकारी

(*डॉ. वाई. के. शर्मा[1], भगवती बरंडा[2] एवं रणवीर कुमावत[2])
[1]सहायक आचार्य , कृषि महाविद्यालय, लालसोट, दौसा (राजस्थान)
[2]सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
*yksharma.coalalsot@sknau.ac.in

राजस्थान में निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को लाभ प्रदान करने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जरूरतमंद छोटे सीमांत किसानो को अपने खेतो में फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराये जा रहे है। देश में कोविड-19 के कारण व्याप्त लॉकडाउन के बीच राजस्थान में किसानों को ट्रैक्टर व कृषि यंत्र की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की इस योजना से अब तक चार हजार से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है।

राजस्थान में निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य-

कोरोना वायरस के कारण व्याप्त लोकडाउन की वजह से राजस्थान के किसानो को अपनी खेती करने में बहुत मुश्किल आ रही है तथा इन परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना को शुरू किया है। कोरोना संक्रमण एवं लॉक डाउन के चलते कृषि कार्यों में आ रही कठिनाई को देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को इस योजना के तहत फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराना और उनकी कृषि और आय में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

राजस्थान में निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ-

- ✓ इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जायेगा।
- ✓ राज्य के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छोटे और सीमांत किसान है उन्हें लॉक डाउन की वजह से कृषि कार्य करने में दिखात आ रही है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
- ✓ निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र स्कीम के तहत अब तक करीब 4 हजार किसानों को 8 हजार घंटे से अधिक की सेवा दी जा चुकी है। यह मुफ्त सेवा 30 जून तक जारी थी। हालांकि भविष्य के लिए इस योजना के बारे में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिये है।
- ✓ यह योजना राज्य के किसानो के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी।

- ✓ कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

अनुदान/ सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार है-

- ✓ आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ✓ इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर छोटे और सीमांत किसान ही पात्र होंगे।
- ✓ राज्य के किसानो के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- ✓ आधार कार्ड।
- ✓ मूल-निवास प्रमाण पत्र।
- ✓ किसानो की खेती के कागज़ात यथा जमाबंदी
- ✓ सक्रिय मोबाइल नंबर
- ✓ पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है-

- ✓ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसान मुफ्त में किराए की इस योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 नम्बर पर एसएमएस भेजकर जेफार्म सर्विसेज से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- ✓ अगर किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत हैं और किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो “ए” लिखकर संदेश भेजें।
- ✓ अगर पंजीकृत नहीं हैं तो “बी” लिखकर संदेश भेजें।

अतिरिक्त जानकारी हेतु यहाँ सम्पर्क कर सकते है-

स्तर		कार्यालय का नाम
ग्राम पंचायत स्तर पर	:	कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
पंचायत समिति स्तर पर	:	सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
उप जिला स्तर पर	:	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
जिला स्तर पर	:	उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय

संदर्भ:

1. कृषि विभाग, राजस्थान वैबसाइट: https://agriculture.rajasthan.gov.in/
2. इंटरनेट वैबसाइट: https://pmmodiyojana.in/mukhyamantri-krishak-sathi-yojana/

AGRI ARTICLES Publishing Skills Estd. 2021